UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
CHAMBER BHAWAN, CHAMBER MARG, M.I.A.,
UDAIPUR – 313 003

Minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on 9th April, 2018 at P.P. Singhal Auditorium

In accordance with the Notice of Hony. Secretary General vide No.UCCI/AN-5/2017-18/422 dated 22nd March, 2018, the Extra Ordinary General Meeting of the UCCI took place at Chamber Bhawan on 9th April, 2018. The list of the members present in the meeting is appended herewith at Annexure 1.

Shri Anil Mishra, Hony. Secretary General informed the House that quorum required for Meeting under Constitution of the Chamber is available, and therefore, the Extra Ordinary General Meeting may take place. The meeting was chaired by the President Shri Hansraj Choudhary.

President Shri Hansraj Choudhary extended a hearty welcome to all the members present in the meeting.

During his Welcome Address he presented a summary of activities undertaken during the past 10 months. He gave accounts of the development done towards the Chamber, its services and the Secretariat. Amongst the key implementations were the online issuance of Certificate of Origin, Document's Attestations and Visa recommendations, the inauguration of the UCCI Cafeteria and Vocational Training Center. Furthermore, the President put forward his efforts in representing the industry in front of relevant authorities, be it the matter of industrial policies, GST related issues, Forest Department related grievances and most importantly the concerns of Mining sector.

Mentioning the growth in memberships, both regular and HWM, he gave stress on the fact that the members should have greater participation in the Chamber's activities and the events that have been organised for the benefit of the industry. He requested the audience present in the meeting to show more support towards such events & initiatives. Talking briefly about such events, he mentioned the collaboration with GST Deptt. to organize camps & seminars early this year to generate awareness of this new tax regime.

The notice calling the meeting was taken as read. President then called the meeting to order to transact the following agenda business as per the notice :

(1) To approve the Minutes of the last Annual General Meeting held on 03.06.2017 :

Shri Anil Mishra, Hony. Secretary General submitted before the House that the draft Minutes of the Annual General Meeting held on 03.06.2017 have already been circulated along with the notice to all the members and requested to their confirmation by the House with suggestions, if any.

The Minutes of the last Annual General Meeting held on 03.06.2017 were unanimously approved.

(2) To discuss and approve the Amendments in the Constitution and Electtion Rules of UCCI as proposed by the Constitition Amendment Sub-Committee and recommended by the Executive Committee in its Eighth meeting held on 21.3.2018 :

President Shri Hansraj Choudhary informed the House that Constitution Amendment Sub-Committee, after detailed deliberations in its Committee Meetings, forwarded its finalized recommendations to the Executive Committee. These recommendations of the Sub-Committee were thoroughly discussed by the Executive Committee Members in their meetings held on 28.2.2018 and 21.3.2018, and then finalized the proposed amendments in the Constitution and Election Rules of UCCI, which have been sent to the members along with the notice for their perusal well before this Extra Ordinary General Meeting.

For the convenience of the House, President, requested PP Shri Virendra Siroya, who is also the constituent member of Constitution Amendment Sub Committee, to read out the point-wise proposed amendments and invited members to kindly give their suggestions, if any.

PP Shri Virendra Siroya then read point to point page-wise proposed amendments that were earlier sent to the members along with the notice.

(A) Proposed Amendments under 'Objectives and Purposes of the Chamber' :

उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

विधान में संशोधन के सुझाव

चैम्बर के उद्देश्य एवं प्रयोजन

क्र. सं.	वर्तमान धारा एवं पेज नं.	वर्तमान प्रावधान	नई धारा	संशोधित प्रावधान	कारण/स्पष्टीकरण
1	पेज 3 प्रथम पंक्ति	उदयपुर चैम्बर निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की गई है :–	पेज 3 प्रथम पंक्ति	~~उदयपुर~~ चैम्बर निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है :–	उदयपुर शब्द हटाया गया व अन्य परिवर्तन व्याकरण की दृष्टि से।
2	पेज 3 धारा 2	उदयपुर सम्भाग में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग एवं वस्तु उत्पादन कार्य को उन्नति की ओर अग्रसर करना एवं प्रसारोन्मुख कर सुरक्षा प्रदान करना।	पेज 3 धारा 2	राजस्थान में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, वस्तु उत्पादन कार्य एवं सेवा उद्योग के क्षेत्रों को निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर करना एवं प्रसारोन्मुखी कर सुरक्षा प्रदान करना।	यह परिवर्तन चेम्बर के उद्देश्यों एवं इसके बहु–क्षेत्रीय स्वरूप को कायम रखने के लिये प्रस्तावित है।
3	पेज 3 धारा 6	सार्वजनिक हित हेतु संगठित अथवा संगठित होने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा राज्य विधायिका परिशद, संविधान निर्मात्री समिति अथवा नगर परिषदों, सलाहकार	पेज 3 धारा 6	सार्वजनिक हित हेतु संगठित अथवा संगठित होने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा राज्य विधायिका परिषद, संविधान निर्मात्री समिति अथवा नगर	समय–समय पर होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है।

		समितियों, जिला मण्डलों व अन्य संस्थाओं में इस संस्था के उद्देश्यों के साधन हेतु प्रेरित करने को संस्था के प्रतिनिधियों को चुनना।		निगम/नगर परिषदों, सलाहकार समितियों, जिला मण्डलों व अन्य संस्थाओं में इस संस्था के उद्देश्यों के साधन हेतु प्रेरित करने को संस्था के प्रतिनिधियों को चुनना।	
4	पेज 5 धारा 18	चैम्बर के प्रयोजन हेतु जैसी आवश्यकता पड़े तदनुरूप धन, समय–समय पर बॉण्ड्स या अन्य सिक्युरीटीज, जो कि इस संस्था द्वारा निश्चित की गई शर्तो पर जारी किये गये हो, यदि जरूरी हो तो उधार लेना।	पेज 5 धारा 18	चैम्बर के प्रयोजन हेतु जैसी आवश्यकता पड़े तदनुरूप धन, समय–समय पर बॉण्ड्स या अन्य सिक्युरीटीज, जो कि इस संस्था द्वारा निश्चित की गई शर्तो पर जारी किये गये हो, यदि जरूरी हो तो यूसीसीआई की समस्त चल–अचल परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत तक का ऋण कार्यकारिणी समिति की अनुमति लेकर उधार लेना।	यह परिवर्तन स्पष्ट करता है कि कार्यकारिणी समिति की मंजूरी जरूरी है तथा कुल परिसम्पत्तियों के 50 प्रतिशत मूल्य तक ही लोन ले सकेंगे।
5	पेज 6 धारा 26	जन संस्थाओं जैसे धारा सभा, नगर पालिका, सलाहकारिणी समितियां, जिला बोर्ड या अन्य जन साधारण के हित के लिये बनाई जाने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मांगना व उनके कार्यो में भाग लेने के लिये चेम्बर के प्रतिनिधियों का चयन करना।	पेज 6 धारा 26	जन संस्थाओं जैसे धारा सभा, **नगर निगम**/नगर पालिका, सलाहकारिणी समितियां, जिला बोर्ड या अन्य जन साधारण के हित के लिये बनाई जाने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मांगना व उनके कार्यो में भाग लेने के लिये चेम्बर के प्रतिनिधियों का चयन करना।	समय–समय पर होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है।

The house unanimously approved all the above amendments from S.No.1 to S.No. 5 under 'Objectives and Purposes of the Chamber'

(B) Proposed Amendments under 'Constitution of the Chamber'

विधान में संशोधन के सुझाव

चैम्बर का विधान

क्र. सं.	वर्तमान धारा एवं पेज नं.	वर्तमान प्रावधान	नई धारा	संशोधित प्रावधान	कारण/स्पष्टीकरण
6	पेज 7 धारा 1.8	''वित्तीय वर्ष''' का अर्थ दिनांक 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर अगली दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाला बारह अंग्रेजी महिनों का प्रत्येक वर्ष होगा।	पेज 7 धारा 1.8	''वित्तीय वर्ष''' का अर्थ **समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष होगा। वर्तमान में यह** दिनांक 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर अगली दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाला बारह अंग्रेजी महिनों का वर्ष है।	भविष्य में परिवर्तन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है।
7	पेज 8 धारा 2.1	चैम्बर का सदस्य ऐसा प्रत्येक व्यक्ति फर्म या कम्पनी, संस्था या संघ होगी जिसको इस विधान के नियमों के अनुसार सदस्य स्वीकार किया गया हो।	पेज 8 धारा 2.1	चैम्बर का सदस्य ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, एल.एल.पी., कम्पनी, संस्था **अथवा** संघ **होगा** जिसको इस विधान के नियमों के अनुसार सदस्य स्वीकार किया गया हो।	"एल.एल.पी. (लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप)" जोडा गया।
8	पेज 8 धारा 2.2	श्रेणिया :	पेज 8 धारा 2.2	**श्रेणियाँ :**	शब्द दोष हटाया गया।
9	पेज 8 धारा 2.2.2	साधारण सदस्य : उदयपुर संभाग या राजस्थान के किसी अन्य भाग में कार्यरत कोई भी औद्योगिक इकाई, व्यापारिक फर्म, कम्पनी या प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान को इस हेतु निर्धारित सदस्यता राशि एवं प्रवेश शुल्क अग्रिम जमा करवाये जाने पर नियमानुसार चेम्बर की कार्यकारिणी समिति द्वारा साधारण	पेज 8 धारा 2.2.2	साधारण सदस्य : राजस्थान में कार्यरत कोई भी औद्योगिक इकाई, व्यापारिक फर्म, कम्पनी या प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान, **बैंक, शैक्षणिक संस्था** को इस हेतु निर्धारित सदस्यता राशि एवं प्रवेश शुल्क अग्रिम जमा करवाये जाने पर नियमानुसार चेम्बर की कार्यकारिणी समिति	बैंक व शैक्षणिक संस्था जोडा गया व अन्य परिवर्तन व्याकरण की दृष्टि से।

		सदस्य बनाया जा सकेगा। परन्तु किसी एक ही समुदाय या उद्योग या व्यापारी वर्ग विशेष के ऐसे सदस्यों की संख्या चेम्बर के कुल सदस्य संख्या से कभी भी पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।		द्वारा साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। परन्तु धारा 4.1 में वर्णित वर्गीकरण के अनुसार किसी एक ही समुदाय, उद्योग, सेवा अथवा व्यापारी वर्ग विशेष के ऐसे सदस्यों की संख्या चेम्बर की कुल सदस्य संख्या से कभी भी 15% (पन्द्रह प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।	15% (पन्द्रह प्रतिशत) को अंको में भी दर्शाया गया।
10	पेज 9 धारा 2.2.5	एसोसिएट सदस्य : राजस्थान में कार्यरत कोई भी औद्योगिक इकाई, व्यापारिक फर्म, प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान, संघ, संस्था या सेवा उद्योग से सम्बन्धित उपक्रम जो किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग से पंजीकृत हो उसे निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क अग्रिम जमा कराये जाने पर नियमानुसार चैम्बर की कार्यकारिणी समिति द्वारा "एसोसिएट सदस्य" बनाया जा सकेगा। ऐसे सदस्यों को चेम्बर के विधान में वर्णित अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, चेम्बर की कार्यकारिणी में न तो भाग ले सकेंगे और न वे चुनाव में मतदान कर सकेंगे। ऐसे सदस्य चैम्बर की वार्षिक या विशेष साधारण सभा में भी न तो भाग ले सकेंगे तथा किसी नीतिगत विषय पर मतदान भी नहीं कर सकेंगे परन्तु चेम्बर की अन्य गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। धारा 4.1 में वर्णित एक ही समुदाय या उद्योग या व्यापारी वर्ग विशेष के ऐसे सदस्यों की संख्या चैम्बर के कुल सदस्यों की संख्या से कभी भी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	पेज 9 धारा 2.2.5	<u>एसोसिएट सदस्य :</u> ~~राजस्थान में कार्यरत~~ कोई भी औद्योगिक इकाई, व्यापारिक फर्म, प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान, संघ, संस्था या सेवा उद्योग से सम्बन्धित उपक्रम जो किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग से पंजीकृत हो उसे निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क अग्रिम जमा कराये जाने पर नियमानुसार चैम्बर की कार्यकारिणी समिति द्वारा "एसोसिएट सदस्य" बनाया जा सकेगा। ऐसे सदस्यों को चेम्बर के विधान में वर्णित अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, चेम्बर की कार्यकारिणी में न तो भाग ले सकेंगे और न वे चुनाव में मतदान कर सकेंगे। ऐसे सदस्य चैम्बर की वार्षिक या विशेष साधारण सभा में भी भाग नहीं ले सकेंगे तथा किसी नीतिगत विषय पर मतदान भी नहीं कर सकेंगे परन्तु चेम्बर की अन्य गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। ~~धारा 4.1 में वर्णित एक ही समुदाय या उद्योग या व्यापारी वर्ग विशेष के ऐसे सदस्यों की संख्या चैम्बर के कुल सदस्यों की संख्या से कभी भी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।~~	'राजस्थान में कार्यरत' शब्दों को हटया गया है। यह प्रावधान धारा 2.2.2 के अनुरुप नही है, अतः इसे हटाया गया।
11	पेज 11	चैम्बर का हर सदस्य निम्न समुदाय उद्योग या व्यापारी वर्ग विशेष में वर्गीकृत	पेज 11	चैम्बर का हर सदस्य निम्न वर्ग विशेष में वर्गीकृत हो :–	

	धारा 4.1	हो :– 1. एग्रो बेस और एग्रो इनपुट कृषि आधारित एवं कृषि निवेश उद्योग 2. सीमेन्ट एवं सीमेन्ट प्रोडक्ट उत्पाद उद्योग। 3. केमिकल्स एवं फर्टीलाईजर्स उद्योग 4. इंजीनियरिंग एवं फेब्रिकेशन उद्योग 5. इलेक्ट्रीकल्स एवं इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग। 6. प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग 7. कपड़ा उद्योग 8. सोप स्टोन उद्योग 9. मार्बल, ग्रेनाईट एवं अन्य डायमेन्शनल स्टोन उद्योग। 10. माईनिंग एवं अन्य मिनरल उद्योग जो और कहीं उल्लेखित न हो। 11. होटल एवं पर्यटन। 12. सेवा उद्योग (सर्विस इण्डस्ट्री) 13. प्रिंटिंग उद्योग 14. ग्लास एवं सेरेमिक उद्योग 15. अन्य उद्योग जो उपर उल्लेखित न हो। 16. व्यापारिक प्रतिष्ठान संस्थाएँ। 17. सदस्य संघ या संस्था/मेम्बर बॉडिज। 18. प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान 19. मार्बल एवं ग्रेनाईट व्यवसाय ट्रेड। 20. 100 प्रतिशत निर्यातक प्रतिष्ठान एवं उद्योग। 21. प्रयोगशाला एवं अनुसंधान। 22. सूचना एवं तकनिकी (आई.टी.) 23. शैक्षणिक संस्थान 24. बिल्डर्स	धारा 4.1	1. एग्रो बेस और एग्रो इनपुट कृषि आधारित एवं कृषि निवेश उद्योग 2. सीमेन्ट एवं सीमेन्ट प्रोडक्ट उत्पाद उद्योग 3. केमिकल्स एवं फर्टीलाईजर्स उद्योग 4. इंजीनियरिंग एवं फेब्रिकेशन उद्योग 5. इलेक्ट्रीकल्स एवं इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 6. प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग 7. कपड़ा उद्योग 8. सोप स्टोन उद्योग 9. मार्बल, ग्रेनाईट एवं अन्य डायमेन्शनल स्टोन उद्योग 10. माईनिंग एवं अन्य मिनरल उद्योग जो और कहीं उल्लेखित न हो। 11. होटल एवं पर्यटन उद्योग 12. सेवा उद्योग (सर्विस इण्डस्ट्री) 13. प्रिंटिंग उद्योग 14. ग्लास एवं सेरेमिक उद्योग 15. अन्य उद्योग जो उपर उल्लेखित न हो 16. व्यापारिक प्रतिष्ठान 17. सदस्य संघ या संस्था/मेम्बर बॉडिज 18. प्रोफेशनल व्यक्ति/प्रतिष्ठान 19. मार्बल एवं ग्रेनाईट व्यवसाय ट्रेड 20. 100 प्रतिशत निर्यातक प्रतिष्ठान एवं उद्योग। 21. प्रयोगशाला एवं अनुसंधान। 22. सूचना एवं तकनीकी (आई.टी.) व सॉफ्टवेयर सेवाएं। 23. शैक्षणिक संस्थान 24. बिल्डर्स नोट : – (1) उपरोक्त वर्गीकरण में वर्ग संख्या 16 से 24 वर्ग में किसी भी एक ही तरह के उपवर्ग से सम्बन्धित सदस्यों की अधिकतम संख्या धारा 2.2.2 में उल्लेखित सदस्य संख्या के 20% (बीस प्रतिशत) तक ही सीमित रहेगी।	11. 'उद्योग' शब्द जोडा गया। 16. संस्थाएं वर्ग नं. 17 में सम्मिलित हैं। 22. सॉफ्टवेयर सेवाएं जोड़ी गई है। यह प्रावधान पारित किया गया।

				(2) समय–समय पर आवश्यकतानुसार मेम्बरशिप प्रमोशन एवं स्क्रीनिंग सब कमेटी उपरोक्त वर्ग संख्या 16 से 24 हेतु उपवर्ग की सूची तय करेगी। यहां उपवर्ग का अर्थ किसी वर्ग में भिन्न–भिन्न समुदायों से है।	
12	पेज 12 धारा 5.6	सदस्यता प्रदान किये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह सदस्यता हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताये भी निरस्त कर सके।	पेज 12 धारा 5.6	सदस्यता प्रदान किये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति अथवा मेम्बरशिप प्रमोशन एवं स्क्रीनिंग सब कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह सदस्यता हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताये भी निरस्त कर सके। इस संदर्भ में चेम्बर आवेदक को किसी भी प्रकार की जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं होगा।	नियम में स्पष्टता प्रदान करने हेतु यह परिवर्तन अनुमोदित किया गया।
13		नई धारा	पेज 13 धारा 5.9	प्रत्येक सदस्य अपने दो प्रतिनिधि अर्थात प्रथम प्रतिनिधि एवं द्वितीय प्रतिनिधि के नाम चेम्बर को आवेदन के साथ देगा। तत्पश्चात प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन हेतु संस्था के द्वारा चेम्बर सेक्रेटेरियट में आवेदन के साथ 100/– रूपये फीस जमा करवाकर परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सामान्यतया संस्था के प्रथम नामित प्रतिनिधि द्वारा लिखित पत्र मान्य होगा।	सदन द्वारा 100/– रूपये फीस तय की गई ताकि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया रिकॉर्ड में दर्ज हो।
14	पेज 18 धारा 10.1	कार्यकारिणी समिति का गठन चुनाव तथा सहवरण द्वारा होगा जिसके लिए नियम वार्षिक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा नियमानुसार संशोधित कर सकेगी।	पेज 18 धारा 10.1	कार्यकारिणी समिति का गठन चुनाव, मनोनयन तथा सहवरण द्वारा होगा जिसके लिए नियम वार्षिक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा नियमानुसार संशोधित कर सकेगी।	मनोनयन का प्रावधान जोड़ा गया।
15	पेज 19 धारा 10.5	चयनित कार्यकारिणी समिति सदस्यों में से ही अध्यक्ष किसी एक सदस्य को महासचिव मनोनीत करेगा एवं कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में	पेज 19 धारा 10.5	नवगठित कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही :– (1) अध्यक्ष किसी एक सदस्य को	नियमों की स्पष्टता हेतु इस धारा को रि–ड्राफ्ट किया गया है।

		से एक सदस्य को कोषाध्यक्ष मनोनीत करेगी।		महासचिव मनोनीत करेगा। (2) कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से एक सदस्य को कोषाध्यक्ष मनोनीत करेगी।	
16	पेज 19 धारा 10.6	अतः गठित की गई कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 31 (इक्कतीस) होगी।	पेज 19 धारा 10.6	अतः गठित की गई कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 33 (तेतीस) होगी। इस तरह नवीन कार्यकारिणी समिति का गठन सम्पन्न होगा। इस कार्यकारिणी के निम्न सदस्य पदाधिकारी कहलाएंगे : 1. अध्यक्ष (1) 2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष (1) 3. उपाध्यक्ष (1) 4. महासचिव (1) 5. कोषाध्यक्ष (1) 6. निवर्तमान अध्यक्ष (1)	दो महिला सदस्याओं के पद बढ़ने से संख्या 31 से बढ़कर 33 हुई। पदाधिकारियों को परिभाषित किया गया है।
17	पेज 19 धारा 10.7 (अ)	कार्यकारिणी समिति में निम्न निर्वाचन के तहत ही चयन होगा : (अ) 1. बड़े एवं मध्यम उपक्रम (उद्योग) : 6 (छह) सदस्य 2. लघु एवं माईक्रो उपक्रम (उद्योग) : 9 (नौ) सदस्य 3. व्यापारिक क्षेत्र : 3 (तीन) सदस्य 4. प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक संस्थान : 2 (दो) सदस्य कुल (1+2+3+4) : 20 (बीस) सदस्य (ब) सदस्य संघ या संस्था (मेम्बर बोडिज) : 3 (तीन) सदस्य (स) पूर्वाध्यक्ष : 2 (दो) सदस्य (जिनमें निवर्तमान अध्यक्ष शामिल नहीं होगा) (द) सहवरित सदस्य : 2 (दो) सदस्य कुल (अ + ब + स + द) : 27 (सत्ताईस) सदस्य नोट : 1. उपरोक्त चुनाव क्षेत्र (अ) में से 20 (बीस) एवं धारा 10.4 के अंतर्गत 2 (दो)	पेज 19 धारा 10.7 (अ)	कार्यकारिणी समिति में निम्न सदस्यों का चयन निर्वाचन द्वारा ही होगा : (अ) 1. बड़े एवं मध्यम उपक्रम (उद्योग) : 6 (छह) सदस्य 2. लघु एवं माईक्रो उपक्रम (उद्योग) : 9 (नौ) सदस्य 3. व्यापारिक क्षेत्र : 3 (तीन) सदस्य 4. प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक संस्थान : 2 (दो) सदस्य 5. महिला सदस्य : 2 (दो) सदस्य कुल (1+2+3+4+5) : 22 (बाईस) सदस्य (ब) सदस्य संघ या संस्था (मेम्बर बोडिज): 3 (तीन) सदस्य (स) पूर्वाध्यक्ष : 2 (दो) सदस्य (जिनमें निवर्तमान अध्यक्ष शामिल नहीं होगा) (द) सहवरित सदस्य : 2 (दो) सदस्य कुल (अ + ब + स + द) : 29 (उन्तीस) सदस्य नोट : 1. उपरोक्त चुनाव क्षेत्र (अ) में से 22 (बाईस) एवं धारा 10.4 के अंतर्गत 2 (दो) सहवरित सदस्य कुल 24 (चौबीस) सदस्य होंगे। चैम्बर विधान की धारा 4. 1 के अन्तर्गत वर्णित उपरोक्त किसी भी	चुनाव के माध्यम से कार्यकारिणी में महिला सदस्यों के दो पद रखे जाने से चुनाव क्षेत्र (अ) में कुल संख्या 20 से बढकर 22 हो गई। महिला सदस्यों के दो पद बढने से कार्यकारिणी समिति में कुल संख्या 27 से बढकर 29 हो गई। दो महिला सदस्य एक ही वर्ग से भी चुनी जा

		सहवरित सदस्य कुल 22 (बाईस) सदस्य होंगे। चैम्बर विधान की धारा 4.1 के अन्तर्गत वर्णित उपरोक्त किसी भी एक वर्ग से अधिक से अधिक 3 (तीन) सदस्य ही कार्यकारिणी समिति में आ सकेंगे, परन्तु धारा 10.7 (अ) 1 व 2 के अंतर्गत किसी भी एक वर्ग से ज्यादा से ज्यादा दो सदस्य ही कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित हो सकेंगे। धारा 10.4 पर भी धारा 4.1 का प्रतिबंध लागू होगा।		एक वर्ग से अधिक से अधिक 3 (तीन) सदस्य ही कार्यकारिणी समिति में आ सकेंगे, परन्तु धारा 10.7 (अ) 1 व 2 के अंतर्गत किसी भी एक वर्ग से ज्यादा से ज्यादा दो सदस्य ही कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित हो सकेंगे। किन्तु दो महिला सदस्यों के निर्वाचन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा दो महिला सदस्य एक ही वर्ग से भी चुनी जा सकेंगी। धारा 10.4 पर धारा 4.1 का प्रतिबंध लागू होगा।	सकेंगी।
18	पेज 21 धारा 11.14	निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति – कार्यकारिणी अग्रिम वार्षिक आम सभा में कार्यकारिणी के गठन हेतु निर्वाचन कराने के लिये एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।	पेज 21 धारा 11.14	निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति – वर्तमान कार्यकारिणी समिति अग्रिम वार्षिक आम सभा में नवीन कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु चुनाव कराने के लिये एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। निर्वाचन अधिकारी का कार्यकाल आगामी कार्यकारिणी समिति के चुनाव तक ही रहेगा। निर्वाचन अधिकारी चुनाव संचालन हेतु अपने विवेकानुसार चेम्बर के वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति का गठन कर सकेंगे। इस समिति के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।	नियमों की स्पष्टता हेतु यह प्रस्तावित है।
19	पेज 24	नई धारा	पेज 24 धारा 12.8	चेम्बर की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर प्रस्तावित दीर्घकालिक योजनाओं को वार्षिक आमसभा अथवा विशेष साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।	दीर्घकालिक योजनाओं के प्रति चेम्बर की प्रतिबद्धता बनाए रखने हेतु यह प्रस्तावित है।
20			पेज नं. 24 नई धारा 14.1	''संविधान एवं आदर्श आचार संहिता उप समिति'' चेम्बर के विधान एवं नियमों को व्यवस्थित लागू करने एवं समय–समय पर उचित संशोधन हेतु, संरक्षक, कार्यकारिणी की प्रथम बैठक के पश्चात, 15 (पन्द्रह) दिनों में उपरोक्त समिति का गठन करेंगे। यह समिति चेम्बर के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्यों के आचार – व्यवहार हेतु कर्तव्य एवं अधिकार के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)	''संविधान एवं आदर्श आचार संहिता उप समिति'' के सदस्यों में वर्तमान अध्यक्ष को शामिल किया गया। इस समिति का गठन एक साल के लिये किया जायेगा तथा इस समिति का अस्तित्व चुनाव तक रहेगा। इस कार्यकाल में इस समिति द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रारूप तैयार कर लिया जायेगा। भविष्य

				बनायेगी। इसके सदस्य निम्न प्रकार से होंगे : (1) संरक्षक : अध्यक्ष (2) पूर्वाध्यक्ष : 3 (तीन) सदस्य (3) वर्तमान अध्यक्ष : 1 (4) अधिकतम 2 (दो) मनोनीत सदस्य इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।	में समय–समय पर नई समिति बना कर इस संहिता में संशोधन किये जा सकेंगे। सदन द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।
21	पेज 25 धारा 15.4	चेम्बर मनोनीत व्यक्तियों का भी रजिस्टर संधारित करेगा जो कि मनोनीत व्यक्ति, उनका मनोनयन करने वाले की ओर से कार्य करने एवं मतदान करने को अधिकृत होगा। इस रजिस्टर की खानापूर्तियां संबंधित मनोनयन करने वाले सदस्यों की ओर से लिखित में दिये गये निर्देशों की समुचित पालना के आधार पर ही मात्र की जायेगी एवं किसी मनोनीत सदस्य को चेम्बर की किसी सभा या बैठक में उस सदस्य के मनोनयनकर्ता मूल सदस्य की ओर से कार्य अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि इस उपनियम में प्रतिपादित रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ठ किया हुआ न हो। कोई सदस्य किन्हीं दो व्यक्तियों को मनोनीत कर सकेगा। जिसमें से एक समय में मनोनयन कर्ता की ओर से केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकेगा या मतदान कर सकेगा। यदि चेम्बर की किसी सभा या समिति की किसी बैठक में किसी सदस्य की ओर से कार्य करने अथवा मतदान करने के लिये अधिकृत घोषित किये हुए दोनो व्यक्ति उपस्थित हो तो उनमें से जिनका मनोनयन सर्वप्रथम किया हो, वही अकेला व्यक्ति मनोनयनकर्ता सदस्य की ओर से कार्य एवं मतदान कर सकेगा। इसी प्रकार चैम्बर अथवा इसकी समिति की सभा एवं कार्यवाहियों हेतु आवष्यक सूचना पत्र भी केवल मनोनीत व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को ही भेजा जायेगा जिसका मनोनयन सर्वप्रथम किया गया हो, किन्तु कार्यकारिणी समिति सूचना पत्रों की अतिरिक्त प्रतियां ऐसे अन्य मनोनीत	पेज 25 धारा 15.4	चेम्बर मनोनीत व्यक्तियों का भी रजिस्टर संधारित करेगा जो कि मनोनीत व्यक्ति, उनका मनोनयन करने वाले की ओर से कार्य करने एवं मतदान करने को अधिकृत होगा। इस रजिस्टर की खानापूर्तियां संबंधित मनोनयन करने वाले सदस्यों की ओर से लिखित में दिये गये निर्देशों की समुचित पालना के आधार पर ही की जायेगी एवं किसी मनोनीत सदस्य को चेम्बर की किसी सभा या बैठक में उस सदस्य के मनोनयनकर्ता मूल सदस्य की ओर से कार्य अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि इस उपनियम में प्रतिपादित रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ठ किया हुआ न हो। प्रत्येक सदस्य किन्हीं दो व्यक्तियों को मनोनीत कर सकेगा। जिसमें से एक समय में मनोनयन कर्ता की ओर से केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकेगा या मतदान कर सकेगा। यदि चेम्बर की किसी सभा या समिति की किसी बैठक में किसी सदस्य की ओर से कार्य करने अथवा मतदान करने के लिये अधिकृत घोषित किये हुए दोनो व्यक्ति उपस्थित हो तो उनमें से जिनका मनोनयन सर्वप्रथम किया हो, वही अकेला व्यक्ति मनोनयनकर्ता सदस्य की ओर से कार्य एवं मतदान कर सकेगा। इसी प्रकार चैम्बर अथवा इसकी समिति की सभा एवं कार्यवाहियों हेतु आवयक सूचना पत्र भी केवल मनोनीत व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को ही भेजा जायेगा जिसका	नियमों की स्पष्टता हेतु यह परिवर्तन प्रस्तावित है।

		व्यक्तियों को भी भेजने हेतु सहमति दे सकेगी जिनके नाम मनोनीत व्यक्तियों के रजिस्टर में अंकित हो।		मनोनयन सर्वप्रथम किया गया हो, किन्तु कार्यकारिणी समिति सूचना पत्रों की अतिरिक्त प्रतियां ऐसे अन्य मनोनीत व्यक्तियों को भी भेजने हेतु सहमति दे सकेगी जिनके नाम मनोनीत व्यक्तियों के रजिस्टर में अंकित हो।	
22	पेज 27 धारा 16.2	चेम्बर का प्रत्येक सदस्य संस्था की सम्पत्तियों में अंशदान करता है, इसलिये चेम्बर समाप्त किये जाने समय यदि वह सदस्य बना रहता है अथवा ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि तक चेम्बर द्वारा लिये गये प्रत्येक ऋण अथवा उत्तरदायित्व एवं चेम्बर को समाप्त करने के सम्बन्ध में लगने वाले खर्चो एवं संस्था में अंशदान करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का पारस्परिक समायोजन करने में लगने वाले खर्चो हेतु ऐसी प्रत्येक रकम चुकाने को सदस्य उत्तरदायी होगा जोकि रूपये 50/– से कम हो।	पेज 27 धारा 16.2	चेम्बर का प्रत्येक सदस्य संस्था की सम्पत्तियों में अंशदान करता है, इसलिये चेम्बर समाप्त किये जाने समय यदि वह सदस्य बना रहता है अथवा ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि तक चेम्बर द्वारा लिये गये प्रत्येक ऋण अथवा उत्तरदायित्व एवं चेम्बर को समाप्त करने के सम्बन्ध में लगने वाले खर्चो एवं संस्था में अंशदान करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का पारस्परिक समायोजन करने में लगने वाले खर्चो हेतु ऐसी प्रत्येक रकम चुकाने को सदस्य उत्तरदायी होगा जो कि रूपये 1000/– (एक हजार रूपये) से कम हो।	राशि रु. 50 की जगह रु. 1000 प्रस्तावित है।
23	पेज 27	प्रभाव : उपरोक्त संशोधित विधान आज दिनांक 14.04.2014 को विशेष साधारण सभा की विशेष आहूत बैठक में सर्वानुमति से पारित किया गया एवं आज से ही लागू होगा व इस संशोधित विधान से पुरानी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। हम निम्न पदाधिकारी प्रमाणित करते हैं कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वीकृत विधान की यह सही प्रतिलिपि है।	पेज 27	प्रभाव : उपरोक्त संशोधित विधान ~~आज~~ दिनांक 00/00/2018 को विशेष/साधारण सभा की ~~विशेष~~ आहूत बैठक में सर्वानुमति से पारित किया गया एवं आज से ही ~~लागू~~ प्रभावी होगा व इस संशोधित विधान से पुरानी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। ~~हम निम्न पदाधिकारी प्रमाणित करते हैं कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वीकृत विधान की यह सही प्रतिलिपि है।~~	उक्त संशोधन व्याकरण की दृष्टि से।

नोटः (1) ''चेम्बर का विधान'' के अंतिम पृष्ठ पर पदाधिकारियों के नाम प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) आम / विशेष साधारण सभा में पारित उपरोक्त संशोधन के पश्चात् जिन–जिन धाराओं को भी प्रभावित करते है, उन सभी में समावेश किया जायेगा व अनुक्रमणिका को भी परिवर्तित किया जायेगा।

The key amendments discussed under 'Constitution of the Chamber' are as follows :

(i) The house debated whether the two women members in the Executive Committee can be elected from same category or should they be from different categories, as per proposed changes in clause No.10.7 (a). Accordingly, in clause 1.3 of Election Rules, it was decided not to keep any limitations of category on election of women members.

(ii) Further in clause 10.7 (a) it was discussed by the house whether the 2 seats designated for Professionals & Educational institutions, be split into two separate categories, one each for Professionals and Educational Institutions. The house turned down the proposal since there are not enough member Educational Institutions to form a separate category.

The house unanimously approved all the above amendments from S.No. 6 to S.No. 23 under 'Constitution of the Chamber'

(C) To discuss and approve the amendments in the Election Rules of UCCI as recommended by the Executive Committee:

विधान में संशोधन के सुझाव

चुनाव नियम

क्र सं	वर्तमान धारा एवं पेज नं.	वर्तमान प्रावधान	नया नियम / नई धारा	संशोधित प्रावधान	कारण / स्पष्टीकरण
24	पेज 28 धारा 1.3 नोट 1	उपरोक्त चुनाव क्षेत्र (अ) मे से 20 (बीस) एवं चैम्बर विधान की धारा 10.4 के अन्तर्गत 2(दो) सहवरित सदस्य कुल 22 (बाईस) सदस्य होंगे। और चैम्बर विधान नियम संख्या 4.1 में वर्णित वर्गीकरण अनुसार प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी एक वर्ग से अधिक से अधिक 3 (तीन) सदस्य ही कार्यकारिणी में आ सकेगे। परन्तु विधान की धारा 10.7 (अ) 1 व 2 के अन्तर्गत किसी भी एक वर्ग से ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्य ही कार्यकारिणी में निर्वाचित हो सकेंगे। धारा 10.4 पर भी विधान	पेज 28 धारा 1.3 नोट 1	उपरोक्त चुनाव क्षेत्र (अ) मे से **22 (बाईस)** एवं चैम्बर विधान की धारा 10.4 के अन्तर्गत 2 (दो) सहवरित सदस्य ~~**कुल**~~ **अधिकतम 24 (चौबीस)** सदस्य होंगे। और चैम्बर विधान नियम संख्या 4.1 में वर्णित वर्गीकरण अनुसार प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी एक वर्ग से अधिक से अधिक 3 (तीन) सदस्य ही कार्यकारिणी में आ सकेगे। परन्तु विधान की धारा 10.7 (अ) 1 व 2 के अन्तर्गत किसी भी एक वर्ग से ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्य ही	संविधान में प्रस्तावित उपरोक्त संशोधन के अनुरूप यह परिवर्तन प्रस्तावित है।

		की धारा 4.1 का प्रतिबन्ध लागू माना जायेगा।		कार्यकारिणी में निर्वाचित हो सकेंगे। धारा 10.4 पर भी विधान की धारा 4.1 का प्रतिबन्ध लागू माना जायेगा।	
25	पेज 29 धारा 2.1	पदाधिकारी :– कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो किन्तु वह इकाई वर्तमान में लगातार कम से कम दो वर्ष से चैम्बर की सदस्य हो एवं वह व्यक्ति कम से कम 4 (चार) वर्ष तक किसी भी ईकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसमें से कम से कम एक वर्ष तक कार्यकारिणी समिति का सदस्य रह चुका हो, वह अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष के पद के चुनाव हेतु योग्य सदस्य माना जावेगा परन्तु शर्त यह है कि वह इस पद पर लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं चुना जा सकेगा तथा वह सदस्य या सदस्य इकाई चैम्बर के सभी देय शुल्क उस वर्ष हेतु 15 मई तक जमा करा चुका हो।	पेज 29 धारा 2.1	2.1 पदाधिकारी :– 2.1.1 अध्यक्ष : – कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो किन्तु वह इकाई वर्तमान में लगातार कम से कम 4 (चार) वर्ष से चैम्बर की सदस्य हो एवं वह व्यक्ति कम से कम 10 (दस) वर्षों तक चेम्बर की सदस्य ईकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसमें से कम से कम एक वर्ष तक कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा एक वर्ष उपाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हो वह अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु योग्य सदस्य माना जावेगा। 2.1.2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष : कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो किन्तु वह इकाई वर्तमान में लगातार कम से कम 4 (चार) वर्ष से चैम्बर की सदस्य हो एवं वह व्यक्ति कम से कम 5 (पांच) वर्षों तक चेम्बर की सदस्य ईकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसमें से कम से कम एक वर्ष तक कार्यकारिणी समिति का सदस्य रह चुका हो, वह वरिष्ठ उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु योग्य सदस्य माना जावेगा। 2.1.3 मानद महासचिव एवं कोषाध्यक्ष : कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो किन्तु वह इकाई वर्तमान में लगातार कम से कम दो वर्ष से	अध्यक्ष पद के लिये प्रत्याशी की योग्यता का पुनःनिधारण किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिये प्रत्याशी की योग्यता का पुनःनिधारण किया गया।

				चैम्बर की सदस्य हो एवं वह व्यक्ति कम से कम 4 (चार) वर्ष तक चेम्बर की सदस्य ईकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसमें से कम से कम एक वर्ष तक कार्यकारिणी समिति का सदस्य रह चुका हो, वह महासचिव व कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनयन हेतु योग्य सदस्य माना जावेगा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष के पद हेतु शर्त यह है कि वह इस पद पर लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं चुना जा सकेगा तथा वह सदस्य या सदस्य इकाई चैम्बर के सभी देय शुल्क उस वर्ष हेतु 15 मई तक जमा करा चुका हो।	
26	पेज 29 धारा 2	उम्मीदवारों की योग्यताएं :–	नई धारा	सहवरित सदस्यों के निर्वाचन हेतु वे ही नामित व्यक्ति योग्य पात्र होंगे जिनके नाम सदस्य संगठन द्वारा 15 मई से पूर्व यूसीसीआई के सेक्रेटेरिएट में विधिवत सूचित किये जायेंगे।	
27	पेज 31 धारा 3.3	प्रत्येक सदस्य जिसने इस चेम्बर को वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा अन्य बकाया राशि जमा करा दी हो, वही मतदान करने एवं प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा समर्थक हो सकेगा।	पेज 31 धारा 3.3	प्रत्येक सदस्य जिसने इस चेम्बर को वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा अन्य बकाया राशि **15 मई तक** जमा करा दी हो, वही **चुनाव हेतु उम्मीदवारी, मनोनयन, सहवरण,** मतदान करने एवं प्रत्याशी का प्रस्तावक/ समर्थक हो सकेगा।	
28	पेज 31 धारा 3.5	अगर कोई इकाई, फर्म या व्यक्ति किसी चुनाव तिथि की घोषणा होने के पश्चात एवं उस चुनाव तिथि से पहले चेम्बर का सदस्य बनाया जाता है तो ऐसी इकाई/फर्म या व्यक्ति उस चुनाव में मतदान नहीं कर सकेगा। परन्तु यह शर्त इसके बाद के चुनाव हेतु उस पर लागू नहीं होगी।	पेज 31 धारा 3.5	अगर कोई इकाई, फर्म या व्यक्ति 15 मई के पश्चात एवं अगले चुनाव की तिथि से पहले चेम्बर का सदस्य बनाया जाता है अथवा इकाई का नामित प्रतिनिधि बनाया जाता है तो ऐसी इकाई/फर्म या व्यक्ति उस चुनाव में उम्मीदवारी/मतदान के पात्र नहीं होंगे। परन्तु यह शर्त इसके बाद के चुनाव हेतु उस पर लागू नहीं होगी।	

29		नई धारा	पेज 31 नई धारा 3.5.1	**सदस्य इकाई से नामित व्यक्ति / प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन का आवेदन दिनांक 15 मई से पूर्व निर्धारित फीस के साथ यूसीसीआई सेक्रेटेरिएट को प्राप्त हो जाना चाहिए।**	चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाये रखने हेतु यह प्रस्तावित है।
30	पेज 31 धारा 3.8	जहां जहां भी चुनाव नियम के अंतर्गत शब्द "देय सभी शुल्क तथा अन्य बकाया राशि जमा" करने का वर्णन है उसका अर्थ यह है कि सदस्य द्वारा चैम्बर की सभी देय राशि एवं शुल्क चुनाव होने की तारीख के 10 दिन पूर्व चैम्बर में जमा करा कर रसीद प्राप्त कर ली है। साथ ही यह सदस्य का दायित्व होगा कि वह चेम्बर से देय राशि एवं शुल्क जो बाकि है, पता लगाकर स्वतः ही जमा करावें और इसमें चैम्बर का दायित्व नहीं होगा।	पेज 31 धारा 3.8	जहां जहां भी चुनाव नियम के अंतर्गत शब्द "देय सभी शुल्क तथा अन्य बकाया राशि जमा" करने का वर्णन है उसका अर्थ यह है कि सदस्य द्वारा चैम्बर की सभी देय राशि एवं शुल्क धारा 3.3 के अंतर्गत चैम्बर सेक्रेटेरियट में जमा करा कर रसीद प्राप्त कर ली है। साथ ही यह सदस्य का दायित्व होगा कि वह चेम्बर से देय राशि एवं शुल्क जो बाकि है, पता लगाकर स्वतः ही जमा करावें और इसमें चैम्बर का दायित्व नहीं होगा।	चुनाव में उम्मीदवारी अथवा मतदान हेतु 15 मई तक सभी बकाया शुल्क जमा करवाना आवश्यक है।
31	पेज 32 धारा 4.1	चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में मतपत्र जारी किये जायेंगे जो कि एक ही तरफ छपा हुआ एवं निम्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये परफोरेटेड होगा तथा उसके सभी परफोरेटेड भागों पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। सभी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कराये जायेंगे एवं चुनाव नियम की धारा 4.3, 4.4 एवं 4.5 के अनुसार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही विजयी घोशित किया जायेगा। परंतु धारा 10.4 में वर्णित 2 सदस्यों के सहवरण पर यह नियम लागू नहीं होगा।	पेज 32 धारा 4.2	चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में मतपत्र जारी किया जायेगा जो कि एक ही तरफ छपा हुआ ~~एवं निम्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये परफोरेटेड~~ होगा तथा ~~उसके सभी परफोरेटेड भागों पर~~ उस पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर ~~करना~~ अनिवार्य होगें। सभी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कराये जायेंगे एवं चुनाव नियम की धारा 4.3, 4.4 एवं 4.5 के अनुसार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ~~ही~~ विजयी घोषित किये जायेगे। परंतु धारा 10.4 में वर्णित 2 (दो) सदस्यों के सहवरण पर यह नियम लागू नहीं होगा।	चुनाव अधिकारी अपने विवेक अनुसार मतपत्र की डिजाईन करेंगे।
32	पेज 32 धारा 4.1.1	मतदाता को मतपत्र में वर्णित सभी वर्गों (केटेगरी) के अन्तर्गत चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों में से निर्धारित पदों (पोस्ट) हेतु मतदान करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका मतपत्र निरस्त माना जावेगा। उदाहरण के लिये यदि 'ए–1' केटेगरी में 8 प्रत्याशी हैं एवं निर्धारित सदस्यों की संख्या 6 है तथा 'ब' केटेगरी में स्वीकृत सदस्यों की संख्या 3 है एवं इस केटेगरी हेतु प्रत्याशी 4 हैं तो मतदाता को 'ए–1'	पेज 32 धारा 4.1.1	मतदाता को मतपत्र में वर्णित सभी वर्गों (केटेगरी) के अन्तर्गत चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों में से निर्धारित पदों (पोस्ट) हेतु मतदान करना ~~आवश्यक~~ होगा। ~~अन्यथा उनका मतपत्र निरस्त माना जावेगा~~। उदाहरण के लिये यदि 'ए–1' केटेगरी में 8 प्रत्याशी हैं एवं निर्धारित सदस्यों की संख्या 6 है तथा 'ब' केटेगरी में स्वीकृत सदस्यों की संख्या 3 है एवं इस केटेगरी हेतु	मतदान में गलती हो जाने पर पूरा मतपत्र निरस्त किये जाने के स्थान पर केवल वही केटेगरी निरस्त की जायेगी, जिसमें गलती हुई है।

		एवं 'ब' केटेगरी हेतु क्रमशः सभी 6 सदस्यों एवं 3 सदस्यों हेतु मतदान करना होगा। इसी तरह सभी केटेगरी में स्वीकृत सदस्यों की संख्या अनुसार मतदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह मतपत्र पूर्णतः निरस्त माना जायेगा।		प्रत्याशी 4 हैं तो मतदाता को 'ए–1' एवं 'ब' केटेगरी हेतु क्रमशः सभी 6 सदस्यों एवं 3 सदस्यों हेतु मतदान करना होगा। ''किसी भी केटेगरी में अगर मतदाता से वोट देने में गलती हो जाये तो पूरा मतपत्र निरस्त नहीं माना जायेगा। केवल उन्हीं केटेगरी को निरस्त किया जायेगा, जिनमें गलतियां हुई है।''	
		नई धारा	पेज 34 नई धारा 4.11	चुनाव में उम्मीदवार कोई भी व्यक्ति चुनाव हेतु गठित किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा।	चुनाव में निष्पक्षता बनाये रखने हेतु यह प्रावधान जरूरी है।
33	पेज 35 प्रभाव	प्रभावः उपरोक्त संशोधित चुनाव नियम आज दिनांक 14/04/2014 को विशेष साधारण सभा की आहूत बैठक में सर्वानुमति से पारित किये गये एवं आज से ही लागू होंगे व इस चुनाव नियमों में पुरानी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। हम निम्न पदाधिकारी प्रमाणित करते है कि उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वीकृत विधान की यह सही प्रतिलिपि है।	पेज 35 प्रभाव	प्रभावः उपरोक्त संशोधित चुनाव नियम आज दिनांक 00/00/2018 को विशेष साधारण सभा की आहूत बैठक में सर्वानुमति से पारित किये गये एवं आज से ही लागू होंगे व इस चुनाव नियमों में पुरानी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। ~~हम निम्न पदाधिकारी प्रमाणित करते है कि उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वीकृत विधान की यह सही प्रतिलिपि है।~~	इसकी आवश्यकता नहीं है।

नोटः (1) चेम्बर के ''चुनाव – नियम'' के अंतिम पृष्ठ पर पदाधिकारियों के नाम प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) आम / विशेष साधारण सभा में पारित उपरोक्त संशोधन के पश्चात् जिन–जिन धाराओं को भी प्रभावित करते है, उन सभी में समावेश किया जायेगा व अनुक्रमणिका को भी परिवर्तित किया जायेगा।

(3) संविधान हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित करवाया जायेगा।

(4) उपरोक्त संशोधन जिस दिन वार्षिक / विशेष साधारण सभा में पारित होंगे, उसी दिन से लागू होंगे व इन संशोधनों से पुरानी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

The key amendments discussed regarding "Election Rules" are as follows :

(i) While discussing the amendments suggested in the clause 2.1.1 of Election Rules, the qualifications of candidate for the Post of President, it was additionally proposed by the house to include an additional condition of serving as Vice President or Sr. Vice President for at least tenure of one year.

Since the house seems divided on the acceptance of the proposed amendments to this clause, the chair called for a show of hands. Since out of 79 persons present, only 13 persons raised their hands in against, hence the proposal was passed by more than 2/3rd majority of the house in favour as prescribed in the Clause 13 of Constitution on Page 13.

Remaining all proposed amendments in "Election Rules" from S.No.24 to S.No.33 were unanimously approved by the house.

In view of above deliberations that took place in the House, it is summarised that all the amendments proposed by the Executive committee are unanimously approved with above corrections.

3. To discuss and approve the resolutions regarding continuty of long term plans / projects of UCCI :

Before transacting above agenda, Shri Hansraj Choudhary, President appraised in brief, the outcome & details of Executive Committee Meeting regarding the continuity of long term plans / projects of UCCI.

President, Shri Hansraj Choudhary referred the Draft of the 6 Resolutions recommended by the Executive Committee and informed the House that the same are already circulated along with the Notice. In the meeting after reading one by one these Six Resolutions, Shri Choudhary requested the House for consideration and approval of the same.

In view of above, the House unanimously passed and approved the following Six Resolutions :

1) Resolution to authorise President, UCCI to Sign MOU with MLSU

RESOLUTION

"RESOLVED that President, UCCI (by virtue of being President) be and is hereby authorized to enter into Memorandum of Understanding with Mohan Lal Sukhadia University on Finishing School".

2) Resolution to authorize "President, UCCI for establishment & operation of NIDHI Technology Business Incubator"

RESOLUTION

"RESOLVED that NIDHI Technology Business Incubator is to be established at Village : Raghunathpura, Udaipur and President, UCCI (by virtue of being President) be and is hereby authorized on behalf of Udaipur Chamber of Commerce & Industry (being a partner agency for development of NIDHI TBI) for establishment and operation of NIDHI Technology Business Incubator."

3) Resolution to approve the name of ground floor auditorium as "P.P. Singhal Auditorium"

RESOLUTION

"It is hereby RESOLVED that UCCI express its gratitude to the Singhal Foundation for the financial grant and all other types of cooperation extended for the construction of an Auditorium and accordingly named it as 'P.P. Singhal Auditorium', and its name cannot be changed forever."

4) Resolution to approve the name of Hall at first floor as "Pyrotech-Tempsens Hall"

RESOLUTION

"It is hereby RESOLVED that UCCI express its gratitude to the Pyrotech-Tempsens Group for the financial grant and all other types of cooperation extended for the construction of a Hall and accordingly named it as 'Pyrotech-Tempsens Hall', and its name cannot be changed forever."

5) Resolution to approve the name of Hall at first floor as "Aravali Hall"

RESOLUTION

"It is hereby RESOLVED that UCCI express its gratitude to M/s Aravali Minerals & Chemical Industries Pvt. Ltd. for the financial grant and all other types of cooperation extended for the construction of a Hall and accordingly named it as 'Aravali Hall', and its name cannot be changed forever."

(6) Resolution to approve the name of Hall at first floor as "Vedanta – Hindustan Zinc Hall"

RESOLUTION

"It is hereby RESOLVED that UCCI express its gratitude to M/s Hindustan Zinc Ltd. for the financial grant and all other types of cooperation extended for the construction of a Hall and accordingly named it as 'Vedanta - Hindustan Zinc Hall' and its name cannot be changed forever."

4. ANY OTHER MATTER WITH THE PERMISSION OF THE CHAIR :

The following matters were brought in front of the house for discussion by the Chair :

(i) Resolution to retain the HWM membership fee, received from member industries of facility, towards administrative charges receivable from Ramky.

RESOLUTION

"It is hereby resolved that as per the clause no. 10.3 of Tripartite agreement entered in between UCCI & M/s Ramky Enviro Engineers Ltd., and the decision taken in the Executive Committee meeting held on 8.7.2017 and also in the Trust meeting held on 11.1.2018, the operator of the HWM Facility M/s Ramky Enviro Engineers Ltd. has to pay an amount of Rs. 5,000/-, per member to UCCI towards the administrative expenses incurred by UCCI for

HWM project work. The present strength of HWM membership is 960 and accordingly, M/s Ramky Enviro Engineers Ltd. has to pay an amount of Rs. 48 lakhs to UCCI and also the Membership Fee cannot be transferred to Ramky unless they deposit the amount in question in UCCI A/c.

It is further resolved that the proposal has been unanimously approved by the members present in the Extra Ordinary General Meeting held on 9th April 2018.

(ii) Resolution to approve the names of Awards conferred at UCCI Excellence Awards as desired by the Sponsor organisations for a tenure of 10 years.

RESOLUTION

"It is hereby resolved that the names of the Awards given to the winners of the UCCI Excellence Awards shall remain as christened when instituted for a duration of 10 consecutive years. There shall be no alteration, addition or replacement of the Award title during this term. On completion of 10 years, it shall be on the mutual understanding between UCCI and the sponsor organisation to continue with the Award or any modification thereof.

It is further resolved that the above shall be applicable to only those sponsors who have paid the full sponsorship amount as raised by UCCI when the Award was instituted."

5. VOTE OF THANKS:

Shri Ramesh Kumar Singhvi, Vice President extended heartiest thanks to all the members for their co-operation, and thereafter, the meeting was adjourned followed by lunch.

For **Udaipur Chamber of Commerce & Industry,**

Anil Mishra
Hony. Secretary General

Annexure – 1

Members present in the Extra Ordinary General Meeting held on 9th April, 2018

Sl.No	Name	Organization
1	Shri Vinod Kumar Gadia	Aakar Engineers
2	Shri Jatin Nagori	Amrapali Enterprises
3	Shri Ashok Kumar Jain	Ankur Mineral Industries
4	Shri Mohan Singh Chundawat	Bhumika Enterprises Pvt. Ltd.
5	Shri Vijay Godha	Chandra Marbles

Sl.No	Name	Organization
6	Shri Hansraj Choudhary	Choudhary Offset Pvt. Ltd.
7	Shri Vinod Kumat	Corporate Channels India (P) Ltd.
8	Shri Padam Singh Dugar	Dugar Marbles & Granites
9	Shri Tej Singh Sisodiya	Durga Marble & Minerals
10	Shri Deepak Mehta	Gemini Traders
11	Shri Rewat Singh	Gorbandh Marbles Pvt. Ltd.
12	Shri Om Prakash Nagda	Gudli Chamber of Commerce & Industry
13	Shri Gurpreet Singh Soni	Gurpreet Industries
14	Shri Arvind Agarwal	Harison Minerals and Marbles
15	Shri B.H. Bapna	Harmony Plastics Pvt. Ltd.
16	Shri Ramesh Choudhary	Hi - Land Timbers
17	Shri Bhagwan Vaishnav	Hotel Association, Udaipur
18	Shri Vaibhav Dhing	Hotel Meghdoot
19	Shri Dr. Ashok Jain	IICE College
20	Shri Kejar Ali	Indian Soapstone Producers Association
21	Shri Rakesh Samar	Indra Mineral Industries
22	Shri Anil Mishra	J.K. Tyre & Industries Limited
23	Shri M.N. Singhvi	Jai Enterprises
24	Shri Subhash Singh Ranawat	Kankarwa Haveli
25	Shri Komal Kothari	Kay Travels & Tours
26	Shri Dr. Nirmal Kunawat	Kunawat & Associates
27	Shri Narendra Jain	Kundan Electrical Components Pvt. Ltd.
28	Shri Hemant Jain	Kundan Switchgears Pvt. Ltd.
29	Shri Praveen Suthar	Lotus Hi-Tech Industries
30	Shri Rakesh Maheshwari	Maheshwari & Sons
31	Shri Dr. Vivek Vashistha	Mangalmurti Mineral Industries
32	Shri Kailash Jain	Meenakshi Enterprises

Sl.No	Name	Organization
33	Shri C.S. Rathore Shri Vaibhav Singh Rathore	Mewar Hi-Tech Engineering Ltd.
34	Shri Hansraj Choudhary	Mewar Printers & Paper Association
35	Shri Dr. Reena Rathore	Mewar Technocast Pvt. Ltd.
36	Shri N.K. Singhvi	N.K. Singhvi & Co.
37	Shri Manik Nahar	Nahar Colour & Coatings Ltd.
38	Shri Yashwant Mandawara	National Printers
39	Shri Rakesh Choudhary	Navjeevan Hotel
40	Shri Nirmal Kumar Soni	Nirmal Soni & Associates
41	Shri Arvind Mehta	Oracle Chemicals Pvt. Ltd.
42	Shri G.S. Sisodiya	PHP Poets IT Solutions Pvt. Ltd.
43	Shri K.P. Agrawal	Parn Kuti Hotel
44	Shri Aakash Goyal	Phosphate India Pvt. Ltd.
45	Shri Sarwat Ali Rizvi	Plastech India
46	Shri Abhay Kumar Nahar	Prakhar Enterprises
47	Shri P.S. Talesara	Pyrotech Control (India) Pvt. Ltd.
48	Shri C.P. Telesara	Pyrotech Electronics Pvt. Ltd.
49	Shri Ramesh Kumar Singhvi	R.K. Phosphates Pvt. Ltd.
50	Shri K.P. Sukthanker	Rama Phosphates Limited
51	Shri Sohan Lal Patel	Rishabh Green Marbles Pvt. Ltd.
52	Shri Kejar Ali Kurawar wala	S.K. Enterprises
53	Shri Manmohan Raj Singhvi	S.S. Education Trust
54	Shri R.C. Soni	Sah Polymers Limited
55	Shri Sanjay Jain	Sangeeta Sanjay & Associates
56	Shri K.S. Mogra	Shilpa Trade Links Pvt. Ltd.
57	Shri Hitesh Patel	Shri Banarasi Marbles Stone Pvt. Ltd.
58	Shri Sanjay Kumar Bhandari	Shree Vyapar Mandal
59	Shri Shailendra Singh Khamesra	Shreya Engineers

Sl.No	Name	Organization
60	Dr. Anshu Kothari	Shubh Management Academy
61	Shri Suresh Kumar Jain	Siddha Talc Industries
62	Shri Virendra Siroya	Siroya Cement Udyog
63	Shri G.S. Sisodiya	Sisodiya Manure Mills
64	Shri Hitesh Bansal	Sneh Wires
65	Shri G.L. Soni	Soni & Company
66	Shri Sunil Mogra	Sunil Marble & Granites
67	Smt. Haseena Chakkiwala	Sunshine Marbles (India) Pvt. Ltd.
68	Shri Ashish Singh Chhabra	Surjit Timber Traders
69	Shri Girish Mehta	Suryodaya & Associates
70	Shri Mahendra Taya	Taya Ceramics Pvt. Ltd.
71	Shri Dilip Kumar Shah	Techno Commercial Services
72	Shri Virendra Prakash Rathi	Tempsens Instruments (India) Pvt. Ltd.
73	Shri Vinod Bohra	Udaipur Hotel
74	Shri Vijay Godha	Udaipur Marble Processors Samiti
75	Shri Anil Choudhary	VMI Mineral & Plastics Pvt. Ltd.
76	Shri Babulal Kothari	Vikas Mines Pvt. Ltd.
77	Shri Prateek Nahar	Wilworth Techsol Pvt. Ltd.
78	Shri Surendra Jain	Wonder Tiles & Ceramics
79	Shri Pushpendra Singh	Yagya Agrawal Constructions & Infra Solutions Pvt. Ltd.